फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— श्री हरिराम जाट

विपक्षी :— राज्य

किस्म मुकदमा — 136 भू—राजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 15/25

जीसीएमएस : 2025/40

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 22/01 वाद उनवान हरिराम बनाम सुडा में जारी अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। अंतिम डिक्री अनुसार ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की आराजी नम्बर 1173, 1312मी., 1313, 1314, 1315, 1316, 3958/1308 किता 7 कुल रकबा 64 बीघा 3 बिस्वा भूमि भूरा मु. हीरा 1/3 मांगीलाल पिता जयचन्द्र 1/3, भंवरलाल, रूपा पिता घीसा 1/6 हि.ब., नाथू, सुडा पिता गंगाराम 1/6 हि.ब. सा. नाई का ढाणा को दिया गया तथा 1312/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी हरिराम पिता धन्ना को दिया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 2010 दिनांक 25.08.2004 पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण का नोट नकल जमाबंदी संवत 2060—63 पर लगाया गया। तत्पश्चात रोटेशन की जमाबंदी 2064—67 तैयार करते समय प्रार्थी आराजी नम्बर 1312 का रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा दर्ज कर पूर्व जमाबंदी में दर्ज खातेदारो के नाम यथावत अंकित कर दिए गए तथा प्रार्थी हरिराम पिता धन्ना जाट का प्रथक से खाता कायम कर 1312/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रथक से भी दर्ज कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थी धना का नाम बंटवाड़ा करने के पश्चात भी उक्त खाते में नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व कर्मचारियों को न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतिम डिक्री एवं नामान्तरकरण संख्या 2010 अनुसार रोटेशन की जमाबंदी तैयार करनी चाहिए थी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजीयात बंटवाड़ा कर प्रार्थी का हिस्सा पृथक से दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा रोटेशन की जमाबंदी में पुनः हरिराम के नाम हिस्सा दर्ज कर दिया गया। अंतिम डिक्री एवं नामान्तरकरण अनुसार ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia.
Date: 2025.07.14 12:33:55 IST
Reason: SelfAttested

मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की आराजी नम्बर 1173, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 3958/1308 किता 7 कुल रकबा 10.3842 हैक्टेयर भूमि में भंवरलाल, रूपा पिता घीसा को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया था अर्थात भंवरलाल पिता घीसा का 1/12 हिस्सा एवं रूपा पिता घीसा का 1/12 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था। परन्तु रोटेशन की जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन दोनो खातेदारो का हिस्सा 1/24–1/24 दर्ज कर दिया गया तथा शेष हिस्सा 1/12 हिस्सा प्रार्थी हरिराम के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व कर्मचारियो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। उक्त त्रूटि रोटेशन की जमाबंदी तैयार करते समय सेहवन से होना प्रतित होती है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 545 पर दर्ज आराजी नम्बर 1173, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 3958/1308 किता 7 कुल रकबा 10.3842 हैक्टेयर भूमि भंवरलाल पुत्र घीसा के नाम 1/24 हिस्से से, रूपा पुत्र घीसा के नाम 1/24 हिस्से से एवं प्रार्थी हरिराम पुत्र धना के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है के बजाय संशोधन करते हुए भंवरलाल पुत्र घीसा के नाम 1/12 हिस्से से एवं रूपा पुत्र घीसा के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज की जावे तथा प्रार्थी हरिराम पुत्र धन्ना का नाम हटाया जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:55 IST
Reason: SelfAttested